



विकसित भारत
100 YEARS
अभियान 1947 TO 2047

कार्यालय मुख्य आयुक्त
Office of the Chief Commissioner
सीजीएसटी एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (जयपुर परिक्षेत्र), जयपुर
CGST & Central Excise (Jaipur Zone), Jaipur
(कैडर कन्ट्रोल यूनिट)

स्थापना आदेश संख्या : सी.सी.यू.- CCU-87/2025

एसएससी स्टेनोग्राफर (ग्रेड "सी" एवं "डी") परीक्षा-2024 के माध्यम से सीजीएसटी, दिल्ली जोन में स्टेनोग्राफर ग्रेड-II के पद पर चयन के परिणामस्वरूप, श्री अजय सब्बल, हवलदार (ग्रुप 'सी'), सीजीएसटी अंकेक्षण आयुक्तालय, जयपुर द्वारा दिनांक 30.10.2025 को दिया गया तकनीकी त्यागपत्र को दिनांक 14.11.2025 से स्वीकार किया जाता है।

Consequent upon selection to the post of Stenographer Grade-II in CGST, Delhi Zone through SSC Stenographer (Grade "C" & "D") Examination-2024, the **Technical Resignation** dated 30.10.2025 tendered by Shri Ajay Sabbal, Havaladar (Group 'C'), CGST Audit Commissionerate, Jaipur is hereby accepted **w.e.f. 14.11.2025**.

चूंकि अधिकारी ने परिवीक्षा अवधि पूरी नहीं की है और इस विभाग में हवलदार के पद पर स्थायी नहीं हुए हैं, इसलिए हवलदार ग्रेड में विभाग में उनका कोई ग्रहणाधिकार नहीं रहेगा।

As the officer has not completed the probation period and has not been confirmed in this department on the post of Havaladar, therefore, he will not retain any lien in the department in grade of Havaladar.

यह आदेश नियुक्ति प्राधिकारी की संस्वीकृति से जारी किया जा रहा है।

This order issues with the approval of the Appointing Authority.

(अनुपमा सक्सेना)
सहायक आयुक्त

प्रतिलिपि निम्न को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्तुत है-

1. निजी प्रति- श्री अजय सब्बल, हवलदार, सी.जी.एस.टी. अंकेक्षण आयुक्तालय, जयपुर।
2. अपर आयुक्त (का. एवं सत.), सी.जी.एस.टी. अंकेक्षण आयुक्तालय, जयपुर को उनके कार्यालय के पत्र सं. F. No. F.No. GADT/II/(33)/2/2024-ADMN-I-O/O COMM-R-CGST-ADT-JAIPUR dated 11.11.2025 के संदर्भ में प्रेषित कर लेख है कि श्री अजय सब्बल, हवलदार को कार्यभार मुक्त करने से पूर्व यह सुनिश्चित करें कि उनके विरुद्ध कोई सरकारी / विभागीय देयता एवं सतर्कता / असतर्कता सम्बन्धी प्रकरण इत्यादि लम्बित नहीं हैं। तत्पश्चात श्री अजय सब्बल, हवलदार को कार्यभार मुक्त कर इस कार्यालय को कार्यभारमुक्ति आदेश की प्रति प्रेषित करें।
3. प्रधान आयुक्त/ आयुक्त, सी.जी.एस.टी. एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय, जयपुर/अलवर/उदयपुर/जोधपुर/अंकेक्षण जयपुर /अंकेक्षण जोधपुर/ अपील्स, जयपुर/अपील्स, जोधपुर/सीमा शुल्क आयुक्तालय, मुख्या-जयपुर।
4. वेतन एवं लेखाधिकारी, अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क, जयपुर।
5. अधीक्षक (प्रशा./सत.), मुख्य आयुक्त कार्यालय, सी.जी.एस.टी. एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क जोन, जयपुर।
6. वेबमास्टर, सी.जी.एस.टी. एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, जयपुर को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
7. गार्ड फाईल/ निजी पत्रावली/ सेवा पुस्तिका/ संबंधित एसोसियेशन/ सूचना पट्ट।